संख्या-246/2023/251/22-2-2023-17(281)/2023

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 मई, 2023

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शीशपाल पुत्र श्री मामचन्द्र, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1840/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16-10-2003) दिनांक-19-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शीशपाल पुत्र श्री मामचन्द्र, ग्राम-बाननगर, थाना-कोतवाली, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी व मुकदमेबाजी की रंजिश में बन्दी ने दिनांक-09-10-2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कोर्ट में तारीख देखने आये तेजपाल नामक व्यक्ति की कचहरी में घुसने वाली गली में चाय की दुकान पर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-693/2004 में धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-7, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2020 तक 14 वर्ष, 01 माह, 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-27-09-2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने एवं बन्दी के साक्षात्कार उपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने का अंकन किया गया है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने का अंकन करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी व मुकदमेबाजी की रंजिश में बन्दी ने दिनांक-09-10-2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कोर्ट में तारीख देखने आये तेजपाल नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शीशपाल पुत्र श्री मामचन्द्र को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शीशपाल (बन्दी संख्या-17149) पुत्र श्री मामचन्द्र, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-246/2023/251/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-246/2023/251/22-2-2023-17(281)/2023

दिनांक 25 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शीशपाल पुत्र श्री मामचन्द्र, ग्राम-बाननगर, थाना-कोतवाली, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी व मुकदमेबाजी की रंजिश में बन्दी ने दिनांक-09-10-2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कोर्ट में तारीख देखने आये तेजपाल नामक व्यक्ति की कचहरी में घुसने वाली गली में चाय की दुकान पर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-693/2004 में धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-7, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2020 तक 14 वर्ष, 01 माह, 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-27-09-2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने एवं बन्दी के साक्षात्कार उपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने का अंकन किया गया है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने का अंकन करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी व मुकदमेबाजी की रंजिश में बन्दी ने दिनांक-09-10-2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कोर्ट में तारीख देखने आये तेजपाल नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शीशपाल पुत्र श्री मामचन्द्र को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।